

बांदा, गोरखपुर में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

परियोजनाओं के डीपीआर मंजूर, 481 करोड़ रुपये खर्च होंगे



■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के अंतर्गत गोरखपुर एवं बांदा में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। बांदा में यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के जरिए इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) का दूसरा फेज विकसित किया जाता है। वहीं, गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) धुरियापार में इंडस्ट्रियल एरिया परियोजना को आगे बढ़ाएगा।

सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों परियोजनाओं के डीपीआर को मंजूरी दे दी गई। इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दोनों ही परियोजनाएं मानक पूरा करती हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृति तय सीमा में प्राप्त करने के लिए विभागों एवं संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय किया जाए।

धुरियापार में 120 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया

गोरखपुर के धुरियापार में 120 एकड़ क्षेत्रफल में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹102.35 करोड़ है। इसके तहत औद्योगिक प्लॉट, फ्लैटेड फैक्ट्री, वेयरहाउसिंग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आधुनिक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं साझा सुविधाओं के विकास से क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

बांदा में 379 करोड़ खर्च होंगे

बांदा में 310.27 एकड़ क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) फेज-2 विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹378.82 करोड़ है। परियोजना में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स, वाणिज्यिक, आवासीय एवं सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का प्रावधान किया गया है। जलापूर्ति व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), बिजली उपकेंद्र एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

किरायेदारी के पट्टा विलेखों पर स्टांप की तय की गई नई दरें

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : राज्य सरकार ने किरायेदारी से जुड़े पट्टा विलेखों पर लगाने वाले स्टांप शुल्क में कमी करने का फैसला लिया है। सोमवार को इसके लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।

आदेश के मुताबिक दो लाख रुपये तक औसत वार्षिक किराये वाले पट्टा विलेख पर एक वर्ष तक के लिए अधिकतम 1,000 रुपये स्टांप शुल्क लगेगा। एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के पट्टे पर अधिकतम 2,000 रुपये और 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के पट्टे पर 4,000 रुपये शुल्क लगेगा। कितने किराए पर कितना लगेगा स्टांप शुल्क : 2 लाख रुपये से अधिक

और 6 लाख रुपये तक वार्षिक किराये वाले पट्टों के लिए अधिकतम सीमा क्रमशः 3,000, 6,000 और 8,000 रुपये होगी। 6 लाख रुपये से अधिक और

2 लाख के वार्षिक किराए वाले विलेख पर अधिकतम 1000 रुपये लगेगा स्टांप शुल्क

10 लाख रुपये तक सालाना किराये वाले पट्टों पर अवधि के अनुसार अधिकतम 4,500, 10,000 और 13,000 रुपये स्टांप शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 10 लाख रुपये

से अधिक औसत वार्षिक किराये पर पहले दस लाख रुपये पर संबंधित श्रेणी की दर लागू होगी, जबकि शेष राशि पर भारतीय स्टांप अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद-35 के तहत निर्धारित दर से शुल्क जुड़ेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि टोल पट्टा और खनन पट्टा इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे।

दूसरे खाते में न करें भुगतान

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : यूपी रera ने घर खरीदारों को चेतावनी दी है कि फ्लैट बुकिंग या किस्त का भुगतान बिल्डर द्वारा बताए गए किसी दूसरे खाते में न करें। भुगतान हमेशा संबंधित प्रोजेक्ट के अधिकृत कलेक्शन अकाउंट में ही जमा करें।

यूपी रera की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन, भुगतान से पहले पोर्टल चेक करने का सुझाव

कई शिकायतों के बाद रera ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया कि यदि कोई बिल्डर खरीदारों पर दूसरे खाते में पैसा जमा करवाने का दबाव बनाता है, तो इसकी शिकायत <https://www.up-rera.in/frmOtherAccountDetailsofProject.aspx> पर दर्ज करवाई जा सकती है। इस लिंक पर मिली

शिकायतों की सुनवाई कर रera कार्रवाई करेगा। रera चेयरमैन संजय भूष रेड्डी ने कहा कि भुगतान से पहले यूपी रera पोर्टल पर प्रोजेक्ट के खाते का विवरण जरूर जांचें। विशेषज्ञों के अनुसार कलेक्शन अकाउंट में जमा रकम केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में इस्तेमाल हो सकती है। इससे बिल्डर धन का दुरुपयोग नहीं कर पाता और खरीदारों के हित सुरक्षित रहते हैं। अब रera ने सख्त रुख अपनाया है।